



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - सी संख्या - 2441 वर्ष 2026

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा प्रबंध निदेशक और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपीलीय प्राधिकारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम / अपर श्रम आयुक्त, लखनऊ, और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) अधिवक्ता : कृष्ण कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-8

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से अपना वकालतनामा / अभिभाषक पत्र प्रस्तुत करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद प्रताप सिंह को सुना गया, उनका वकालतनामा / अभिभाषक पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण ने 27.01.2025 के एक आदेश की वैधता को चुनौती दी है। यह आदेश नियंत्रक प्राधिकारी, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 सह सहायक श्रम आयुक्त द्वारा पी.जी. वाद संख्या 418 वर्ष 2022 में पारित किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार है। इस ग्रेच्युटी में उसकी पूरी सेवा अवधि शामिल है, जिसमें 27.03.1985 को दैनिक वेतनभोगी के रूप में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर 13.04.2011 को उसकी सेवा नियमित होने तक की अवधि शामिल है। याचिकाकर्तागण ने पी.जी. / उपदान संदाय अपील संख्या 45 वर्ष 2025 दाखिल करके उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी थी, जिसे उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपीलीय नियंत्रक प्राधिकारी सह सहायक श्रम आयुक्त, लखनऊ द्वारा 24.12.2025 के एक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, और इस याचिका में उस अपीलीय आदेश की वैधता को भी चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यह प्रश्न कि क्या किसी दैनिक वेतनभोगी द्वारा नियमित किए जाने से पूर्व दी गई सेवा को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के समक्ष एसएलपी सिविल डायरी संख्या 2243 वर्ष 2023 (शीर्षक: उत्तर प्रदेश फारेस्ट कारपोरेशन और अन्य बनाम उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी और अन्य) में विचाराधीन है।

4. नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य; (2018) 5 एससीसी 430 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार जब राज्य ने अपीलकर्ता की सेवा को नियमित कर दिया, जबकि वह राज्य सेवा में था, तो अपीलकर्ता उपसंदाय/ग्रेच्युटी का दावा करने हेतु अपनी कुल सेवा अवधि को गिनने का हकदार हो गया, बशर्ते वह अधिनियम की धारा 2ए के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार पाँच वर्षों की निरंतर सेवा सिद्ध कर दे। इन परिस्थितियों में यह न्याय का उपहास होगा यदि आवेदक को 25 वर्षों की निरंतर सेवा के बावजूद जो कि स्वयं राज्य के अनुसार भी नियमित की गई थी, ग्रेच्युटी के उसके वैध दावे से वंचित कर दिया जाए। ग्रेच्युटी राशि का दावा करने हेतु कुल सेवा अवधि की गणना करते समय यह प्रश्न कि ऐसी सेवाएँ किस तारीख से नियमित की गईं, तब कोई महत्व नहीं रखता जब एक बार राज्य द्वारा सेवा नियमित कर दी गई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि वास्तव में राज्य ही था जिसने अपीलकर्ता की सेवा को नियमित करने में 22 वर्ष लगा दिए और 22 वर्षों की लंबी अवधि तक बिना किसी रुकावट के बहुत कम वेतन का भुगतान करते हुए उससे काम लेता रहा। अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित कर देने के पश्चात राज्य के पास अपीलकर्ता को ग्रेच्युटी का लाभ देने से इनकार करने का कोई भी उचित कारण नहीं था, जबकि यह अधिनियम के अंतर्गत उसका वैधानिक अधिकार था। चूंकि यह कर्मचारियों के लाभ हेतु बनाई गई एक कल्याणकारी विधि है विशेषकर उन कर्मचारियों हेतु जो लंबे समय तक किसी नियोक्ता की सेवा करते हैं इसलिए यह राज्य का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कर्तव्य है कि वह अपीलकर्ता को स्वेच्छा से ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करे, न कि कर्मचारी को अपने वास्तविक दावे को प्राप्त करने हेतु न्यायालय जाने के लिए विवश करे।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि **नेतराम साहू** (उपर्युक्त) का निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 292 वर्ष 2009** भारत संचार निगम लिमिटेड, जम्मू बनाम तेजा सिंह और अन्य में 16.01.2025 को पारित एक अप्रकाशित आदेश के विपरीत है, और इस मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **धंसाई साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य** (2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 141) के प्रकरण में 21.01.2020 को पारित एक आदेश के माध्यम से विचारार्थ एक वृहद पीठ को संदर्भित किया गया है, तथा **धंसाई साहू** (उपर्युक्त) प्रकरण में किए गए इस संदर्भ पर वृहद पीठ द्वारा अभी अपना निर्णय सुनाया जाना शेष है।

6. **रजनीश कुमार राय बनाम भारत संघ**; एसएलपी (सिविल) संख्या 20054 वर्ष 2023 प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल इस आधार पर कि किसी प्रकरण को एक वृहद पीठ के पास भेजा गया है, न्यायिक औचित्य इसकी अनुमति नहीं देता कि उस निर्णय की उपेक्षा की जाए भले ही ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही किसी समकक्ष पीठ द्वारा किया जा रहा हो।

7. **लद्दाख राज्य (केंद्र शासित प्रदेश) बनाम जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस**, (2024) 18 एससीसी 643 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि :-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"35. हम अपने सामने उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय और आदेश देख रहे हैं, जिनमें मामलों का निस्तारण इस आधार पर नहीं किया जा रहा है कि इस विषय पर इस न्यायालय का मुख्य निर्णय या तो किसी वृहद पीठ को भेजा गया है, या उससे जुड़ी कोई पुनर्विचार याचिका लंबित है। हमें ऐसे उदाहरण भी मिले हैं, जहाँ उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस न्यायालय के निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया कि बाद की किसी समकक्ष पीठ ने उसके सही होने पर संदेह जताया है। इस संबंध में हम विधि की स्थिति स्पष्ट करते हैं। हम यह पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण उस विधि के आधार पर करेंगे, जो वर्तमान में लागू है। जब तक इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए, तब तक किसी संदर्भ या पुनर्विचार याचिका के परिणाम का इंतज़ार करना उचित नहीं है, जैसा भी मामला हो। उच्च न्यायालय हेतु यह भी उचित नहीं है कि वह यह कहकर किसी निर्णय को मानने से इनकार कर दे कि बाद की किसी समकक्ष पीठ ने उस पर संदेह जताया है। किसी भी स्थिति में जब इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के मध्य विरोधाभासी निर्णय सामने आते हैं, तो उच्च न्यायालय को पहले वाले निर्णय का पालन करना चाहिए, जैसा कि पांच न्यायधीशों की पीठ ने 'नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी' [नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680 : (2018) 3 एससीसी (सिव.) 248 : (2018) 2 एससीसी (क्रि.) 205. इस बिंदु पर रिपोर्ट में एससीसी के प्रस्तर 27 और 28 देखें।] मामले में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कहा था। बेशक उच्च न्यायालय ऐसा करते समय अपने सामने मौजूद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखेंगे।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश को देखते हुए, इस न्यायालय को नेतराम साहू (उपर्युक्त) में निर्धारित विधि का अनुसरण करते हुए इस रिट याचिका का निर्णय करना है, और यह धनसाई साहू (उपर्युक्त) में वृहत्तर पीठ के निर्णय आने तक इस रिट याचिका के निर्णय को स्थगित नहीं कर सकता।

9. याचिकाकर्तागण द्वारा दाखिल रिट सी संख्या 7642 वर्ष 2024 और रिट सी संख्या 2452 वर्ष 2026 जिनमें एक ही प्रश्न उठाया गया था, को इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 05.09.2024 और 19.03.2026 को पारित निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

10. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक प्राधिकारी, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 सह सहायक श्रम आयुक्त द्वारा पी.जी. केस संख्या 418 वर्ष 2022 और पी.जी. अपील संख्या 45 वर्ष 2025 में क्रमशः दिनांक 27.01.2025 और 24.12.2025 को पारित आदेशों में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है, जिसके द्वारा विपक्षी को उसकी नियुक्ति के समय से पूरी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उपदान (ग्रेच्युटी) के भुगतान का निर्देश दिया गया है।

11. यह रिट याचिका योग्यता रहित है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24 मार्च, 2026

हर्षिता

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।